संख्या– 97 /VI-2/2013–51(6)2013

प्रेषक,

डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 30 मार्च, 2014

विषयः– युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में पंचायत युवा कीड़ा एवं खेल अभियान के अन्तर्गत राज्यांश हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1513/पायका/11–12/12–13/2014–14 दिनांक 05 मार्च, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार की योजना पंचायत युवा कीडा एवं खेल अभियान के अन्तर्गत राज्यांश हेतु प्राविधानित धनराशि ₹145.00 लाख (एक करोड़ पैंतालीस लाख) मात्र की धनराशि आपके निवर्ततन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि, मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका/उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम एवं अन्य आदेशों के

अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कराना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

4. उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मितव्ययता के सम्बन्ध में शासनादेशों में इंगित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

5 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–03–ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास (90 प्रतिशत के0सं0) के मानक मद–24–वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष** के नामें डाला जायेगा।

6.– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–414(P)/XXVII(3)/2013–14 दिनांक 29 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं

भवदीय,

(डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या 97/VI-2/2014–51(6)2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
2– अपर सचिव नियोजन/वित्त, उत्तराखण्ड।
3– वरिष्ठ, कोषाधिकारी, देहरादून।
4– बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6– एन0आई0सी0।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उपसचिव।